20 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये
10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

168

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

RU07U-I-16

श्रीराम विश्वकर्मा तनय आशाराम विश्वकर्मा
निवासी ग्राम सौंरा तह. व जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

21 NOV 2016

म.प्र.शासन ......अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 74/अ–6 अ/15–16 पारित आदेश दिनांक 17/10/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम सौंरा स्थित भूमि खसरा क्र 1042/1 रकवा 2.19 हे भूमि आवेदक के पिता आशाराम तनय बलशी लुहार के नाम पर संवत् 2013 से 2017 के खसरा एंव लगातार 1984 तक गैरहकदार कृषक के रूप में दर्ज रही तथा नामांतरण पंजी क्र 17 वर्ष 1985–86 में पारित आदेश दिनांक 18/11/1986 को भूमिस्वामी घोषित किया गया जिसके उपरांत उक्त वादग्रस्त भूमि के बंदोवस्त में नवीन खसरा क्र 1161, 1162/2, 1016, 1159 रकवा क्रमशः 0.390, 0.230, 0.440, 0.520 हे कुल रकवा 1.580 निर्मित किए गए परंतु उक्त वादग्रस्त भूमि कम्प्यूटर अभिलेख में शासकीय दर्ज लेख किए जाने के कारण निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार छतरपुर द्वारा बिना किसी आधार के समय अवधि के बिन्दु पर निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

110
29.11.16

2. यह कि, तहसीलदार छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित कर विधि विपरीत कार्यवाही की जा रही है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(नितेन्द्र सिंघई एड.
94251-71223
7000853503)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-.....4074एक/16.....जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-1-17	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित तथा अनावेदक शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क सुने। यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 74/अ–6–अ/वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 17/10/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक का तर्क है कि मौजा सौरा स्थित भूमि खसरा क्र 1042/1 रकवा 2.19 हे भूमि आवेदक के पिता आशाराम तनय गनेशी लुहार के भूमिस्वामी हक व अधिपत्य की भूमि थी जो संवत् 2013 से 2017 के खसरा एंव निरतंर वर्ष 1984 तक गैरहकदार कृषक के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। नामांतरण पंजी क्र 17 वर्ष 1985–86 पर पारित आदेश दिनांक 18/11/1986 के द्वारा आवेदक के पिता को भूमिस्वामी हक प्रदत्त किए गए थे। भूमि खसरा क्र 1042/1 के नवीन खसरा क्र 1161, 1162/2, 1016 एंव 1159 रकवा क्रमशः 0.390, 0.230, 0.440, एंव 0.520 हे निर्मित किए गए जिसके पश्चात् राजस्व कम्प्यूटर अभिलेख में बिना किसी आदेश के उक्त प्रश्नाधीन भूमि शासकीय लेख किए जाने की गलत प्रविष्टि कर दी गयी जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार द्वारा समयअवधि के बिन्दु पर निरस्त कर दिया गया है जिस कारण से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक का तर्क है कि आवेदक के पिता का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर संवत् 2009 के पूर्व से पांचशाला खसरा एंव खतौनी में वर्ग 6 गैरहकदार कृषक के तौर पर दर्ज रहा है जिस कारण से वर्ष	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	1986 में आदेश दिनांक 18/11/1986 के द्वारा उन्हें भूमिस्वामी घोषित किया गया था। परंतु बाद में बिना किसी आदेश के राजस्व अभिलेख में गलत प्रवृष्टि दर्ज की गयी है जिसकी जानकारी आवेदक के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर उसके द्वारा खसरा की नकले दिनांक 31/5/16 प्राप्त होने पर हुई तथा इस तथ्य की भी जानकारी प्राप्त हुई कि नजूल अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्र 04/अ–20–1/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16/5/2012 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को बाह्य नजूल घोषित कर दिया गया है जबकि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि तहसीलदार छतरपुर द्वारा मात्र अभिलेख सुधार की अवधि एक वर्ष मान्य कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जबकि तहसीलदार को आवेदक को प्राप्त जानकारी दिनांक से समय सीमा की गणना करना चाहिए थी तथा राजस्व अभिलेख को दुरूस्त रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों का है। जैसा कि 1998 रा.नि. 206 द्रौपती तनय अन्य वि. कौशल्या तथा अन्य एक में कहा गया है कि गलत प्रविष्टि का जानकारी की तिथि से एक वर्ष की अवधि की सीमा प्रारंभ होगी। इसी प्रकार सुकन तथा अन्य वि. हरीराम तथा अन्य एक 2005 रा.नि. 212 में प्रतिपादित किया गया है कि आवेदकगण की गलत प्रविष्टि की जानकारी होने पर खसरा में हुई गलत प्रविष्टि के सुधार के लिए आवेदन दिया गया था – गलत प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है – राजस्व अधिकारी द्वारा गलत प्रविष्टि सुधारी जा सकती है। प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा है तथा आवेदक लगातार कृषि कार्य करता चला आ रहा है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 4– अनावेदक शासन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया कि आवेदक द्वारा गलत प्रविष्टि सुधार का आवेदन पत्र एक वर्ष की समय अवधि पश्चात् प्रस्तुत किया था जिस कारण से तहसीलदार द्वारा विधिसम्मत् रूप से उसको निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया है	

R. 4074-5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5— उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि भूमि खसरा क्र 1042/1 नवीन खसरा क्र 1161, 1162/2, 1016 एंव 1159 रकवा क्रमशः 0.390, 0.230, 0.440 एंव 0.520 हे पर आवेदक के पिता आशाराम तनय गनेशी लुहार का नाम राजस्व अभिलेख में गैरहकदार कृषक में संवत् 2009 के पूर्व से दर्ज था जिस कारण से नामांतरण पंजी क्र 17 वर्ष 1985–86 पारित आदेश दिनांक 18/11/1986 के द्वारा उन्हें भूमिस्वामी घोषित किया गया था। आवेदक द्वारा तहसीलदार छतरपुर के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र इस प्रस्तुत किया गया जिसको तहसीलदार द्वारा एक वर्ष की समय अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया जाना मान्य कर तकनीकी आधार पर ही आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत 2003 रा. नि. 454 मडिया विरूद्व नदिया अवलोकनीय है, इस न्यायिक दृष्टांत में निम्नलिखित न्यायिक सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है – आवेदक भूस्वामी के पिता का नाम त्रृटिवश राजस्व अभिलेख में गलत लिखा होना पाया गया – संहिता की धारा 115 के तहत तहसीलदार को अपने स्तर पर त्रृटि को सही करना चाहिए था – परंतु तहसीलदार ने संहिता की धारा 116 के अधीन एक वर्ष की समय अवधि की आड लेकर मामला समाप्त किया था उसे उचित नहीं माना गया – प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में गलत इन्द्राज राजस्व अभिलेख में चलता न रहे इसके लिए संहिता की धारा 32 सहपठित धारा 115 के अंतर्गत सही जानकारी अभिलेख पर अंकित की जा सकेगी। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश सही नहीं ठहराया जा सकता है। जहां तक प्रश्न नजूल अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही व आदेश का है वह गलत प्रविष्टि का सुधार ना किए जाने के कारण की गयी है तथा उनके द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो का पालन ना करते हुए प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आदेश पारित किया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की	

R. 4074. 5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार छतरपुर का आदेश दिनांक 17/10/2016 निरस्त किया जाता है तथा नजूल अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/05/2012 अंश जहां तक प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 1161, 1162/2, 1016 एंव 1159 रकवा क्रमशः 0.390, 0.230, 0.440 एंव 0.520 हे का संबंध है निरस्त किया जाता है परिणामतः तहसीलदार छतरपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 1161, 1162/2, 1016 एंव 1159 रकवा क्रमशः 0.390, 0.230, 0.440 एंव 0.520 हे पर राजस्व/कम्प्यूटर अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	